

केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

दिनांक: 17.07.2017

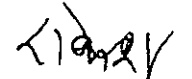
प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/222
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00215
CICOM/R/2017/00687

अपीलकर्ता : श्री सत्य प्रेम,
ए-6, राम नगर कालोनी,
पो 0 - गुरुकुल कांगड़ी,
हरिद्वार - 249404.

निर्णय की तारीख: 17.07.2017

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	29.05.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	22.06.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एस. सी. शर्मा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	03.07.2017
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	146400/06.07.2017

1. अपीलकर्ता ने अपने दिनांक 29.05.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से आयोग को भेजे अपने दिनांक 24.12.2016 के पत्र के साथ सभी संलग्नकों की सत्यापित प्रतियाँ एवं अपील सं. CIC/RK/A/2016/001227 की सुनवाई की विडियो रिकार्डिंग की मांग की थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री एस. सी. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल किया है।
2. प्रथम अपील आवेदन में अपीलकर्ता ने उल्लेख किया है कि उन्हें श्री एस. सी. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई प्रतियाँ सत्यापित नहीं हैं, इस संदर्भ में उल्लेख किया जाता है कि अपीलकर्ता को प्रदान की गई प्रतियाँ उनके ही पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज हैं न कि केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा जारी कोई भी कागजात है, अतः उन्हें केन्द्रीय सूचना आयोग के अधिकारी द्वारा सत्यापित किए जाने का प्रश्न ही नहीं है। साथ ही यह भी उल्लेख किया जाता है कि अपीलकर्ता की सुनवाई की विडियो रिकार्डिंग का कोई प्रावधान नहीं है। अतः श्री एस. सी. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तर्कसंगत है एवं इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।
3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है।



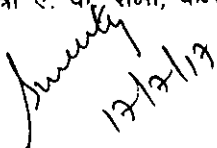
(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।


12/7/17

